वि

ोपित

C. 8PS101—2

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुनर्विलोकन प्रकरण क्रमांक /.05

रिव्यू 914-II/2005

हरी सिंह पुत्र देवी सिंह राजपूत
निवासी ग्राम बडोदा खुर्द तहसील
राघोगढ जिला गुना (म.प्र.)

..आवेदक

श्री के.के. द्विवेदी एडवोकेट
द्वारा आज दि. 22/6/05 को प्रस्तुत।
अवर सचिव
राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर

विरुद्ध

कस्तूरी बाई पत्नी मोती जी भील
निवासी ग्राम बहादुरपुर तहसील
राघोगढ जिला गुना (म.प्र.)

... अनावेदक

27 JUN 2005

27.6.05
K. K. DWIVEDI
Advocate

माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण क्र. 379 I/05में पारित आदेश दिनांक 4.5.05 के विरुद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता की धारा 51 के अधीन पुनर्विलोकन आवेदन ।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नांकित निवेदन है :-

1. यह कि, माननीय न्यायालय के आदेश में कुछ त्रुटियां रह गयी है इस कारण आदेश पुनर्विलोकन योग्य है ।

2. यह कि, माननीय न्यायालय द्वारा आवेदक द्वारा उठाई गयी आपत्तियों पर न तो विचार किया और न ही निर्णय इस कारण माननीय न्यायालय का आदेश पुनर्विलोकन योग्यहै । इस संदर्भ में निम्नलिखित न्याय दृष्टांत अवलोकनीय है.

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 914–दो/2005 [हरीसिंह | कस्तूरीबाई] **जिला** गुना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9–11–2016	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । यह पुनर्विलोकन इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–5–05 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । इस न्यायालय के आदेश दिनांक 4–5–05 का अवलोकन किया गया । म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 में पुर्नविलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है:– 1 किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या 2 मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या 3 कोई अन्य पर्याप्त कारण आवेदक की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन पत्र में ऐसी कोई बात अथवा साक्ष्य नहीं दर्शाया गया है, जो आदेश पारित करते समय उसकी जानकारी में नहीं थी, अथवा प्रस्तुत नहीं की जा सकती थी । अभिलेख से परिलक्षित कोई त्रुटि भी नहीं दर्शाई गई है, केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्षो में त्रुटि दर्शाई गई है, जो पुनर्विलोकन का आधार नहीं है । 2/ उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह पुनर्विलोकन प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	